न्यायालय अपील प्राधिकरण (जिला कलेक्टर), गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी–डॉ0 गौरव सैनी

अपील संख्या– 14/24 तारीख रज्जू–20/09/24

1 हरिओम पुत्र गजाधर जाति कोली निवासी जवाहर कॉलोनी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी।
2 कोमल पत्नि हरिओम जाति कोली निवासी जवाहर कॉलोनी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
——अपीलान्ट

बनाम

1. गजाधर पुत्र स्वर्गीय श्रीचन्द जाति कोली निवासी जवाहर कॉलोनी महूकलॉ तहसील गंगापुर सिटी।
— रेस्पोडेन्टान

निर्णय दिनांक– 20.12.2024

उपस्थितः–
1. स्वयं अपीलार्थी
2. स्वयं रेस्पोडेन्ट

अपीलान्ट ने यह अपील अर्न्तगत धारा 16 माता–पिता वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम , 2007 के अर्न्तगत अधिनस्थ न्यायालय भरण पोषण अधिकरण, (उप जिला कलेक्टर) गंगापुर सिटी के मु0नं0 03/2023 में पारित निर्णय दिनांक 15.05.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। न्यायालय भरण पोषण अधिकरण , (उप जिला कलेक्टर) गंगापुर सिटी ने अपने निर्णय दिनांक 15.05.2024 द्वारा अपीलार्थी को ग्राम महुकलां में स्थित मकान से बेदखल करने हेतु आदेश पारित किया गया हैं, साथ ही अपीलान्ट ने अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 15.05.2024 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पों0 स्वयं उपस्थित होने पर उभय पक्ष की मूल बहस सुनी गई।

अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों का हवाला देते हुए दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अधिकरण का उक्त आक्षेपित आदेश विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश मूल तथ्यों पर बिना गौर किये ही पारित किया है। अपीलार्थी उक्त मकान के एक हिस्से में शांति पूर्ण निवास कर रहे है वह किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते है ना ही किसी के साथ अभद्रता करते है। जबकि रेस्पोडेन्ट अपीलार्थीगण को बेवजह घर से निकालना चाहता है और आये दिन अपीलार्थी को बेवजह परेशान करता रहता है तथा अपीलार्थी सं0 2 पर गलत नजर रखता है तथा रेस्पोडेन्ट अपीलार्थी सं0 2 से गलत इच्छा पूर्ति करवाना चाहता है और अपने दामाद धीरेन्द्र की भी गलत इच्छा की पूर्ति करवाना चाहता है। इस कारण रेस्पोडेन्ट उक्त मकान से अपीलार्थीगण को बेदखल करने पर उतारू है। दामाद धीरेन्द्र द्वारा गलत इच्छा पूर्ति के लिये दबाब बनाने पर अपीलार्थी सं0 2 द्वारा थाने में रिपोर्ट दी जिस पर थाना गंगापुर सिटी द्वारा धीरेन्द्र को बन्द कर पाबन्द किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुना ही नही और उनकी अनुपस्थिति में उक्त आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 23 में कुछ परिस्थितियों में सम्पत्तियों का अन्तरण शून्य होगा , उक्त एक्ट में बेदखली शब्द कही भी नहीं है। इस कारण उक्त धारा 23 सम्पत्ति से बेदखली का अधिकार उक्त अधिकरण को नहीं देती है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि अपीलार्थीगण की छोटी–छोटी बेटियॉ है वो उन्हें लेकर कहां जायेंगे एवं उक्त मकान में अपीलार्थी का भी 1/4 हिस्सा जायज बनता है। अपीलार्थीगण द्वारा कभी भी प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की सेवा करने से

20/12/24
जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज0)

इन्कार नहीं किया गया है ना ही झगडा फसाद किया गया। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में मकान का पट्टा व निर्माण स्वीकृति पेश की गयी है , जो उनके घर का कर्त्ता होने के कारण उनके नाम ही ले लिया गया, जबकि उक्त मकान के निर्माण में अपीलार्थी सं0 1 ने पैसा लगाया था, साथ ही अपीलार्थीपक्ष ने दौराने बहस रेस्पोडेन्ट के जमाई धीरेन्द्र द्वारा किए गऐ मैसेज की चेट की प्रति प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ पीठ द्वारा रिट सं0 35884/2019 कृष्ण कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तरप्रेदश में दिनांक 18.08.2023 को आदेश कर यह उल्लेखित किया कि भरण पोषण अधिकरण न्यायालय को बेदखली करने का कोई अधिकार नहीं है, यह केवल वृद्ध माता पिता के आवास, चिकित्सा, भरण पोषण,कपड़े आदि की व्यवस्था करने हेतु आदेश कर सकता है। लेकिन उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट सरकारी पेंशनधारी होने के कारण उपर लिखित किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी गलत हरकतों के आधार पर अपीलार्थी सं0 2 के बाथरूम के बाहर कैमरा लगवा रखा है। जिससे वह अपीलार्थी को नहाते समय बाहर आने पर देख सके, जिससे अपीलार्थी सं0 2 की गोपनियता भंग होती है। इसलिये भी उक्त आदेश कानून के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है, साथ ही अपीलार्थीगण ने अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.05.2024 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.05.2024 विधि नियम व सही तथ्यों के आधार पर व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज व उभय पक्षकारों को समुचित अवसर देकर , सुनकर एवं सुलह करवाकर पारित किया गया है। अपीलार्थी सं0 2 रेस्पोडेन्ट पर गलत लांछन लगाकर व जबाब देकर रेस्पोडेन्ट के मकान पर कब्जा करना चाहती है। रेस्पोडेन्ट का छोटा दामाद धीरेन्द्र व पुत्री दीपमाला की शादी रेस्पोडेन्ट ने 2017 में की थी। जबकि अपीलार्थीगण की शादी 2008 में की है। रेस्पोडेन्ट की छोटी पुत्री दीपमाला व दामाद धीरेन्द्र अपीलार्थी सं0 2 कोमल के डर से रेस्पोडेन्ट से मिलने व समाचार लेने तक घर नहीं आते है। अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय में समय–समय पर उपस्थित हुये है व अपना जबाब दिनांक 04.08.2023 को पेश किया है। इससे पूर्व भी दिनांक 10.04.2023 को उभय पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुये थे। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय में दोनों पक्षकारों को सुना व सुलह समझौता कराने का प्रयास किया। लेकिन अपीलार्थीगण नहीं माने। इसके बाद दिनांक 18.07.2023 को दोनों पक्षकार उपस्थित हुये थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षकारों को सुनने के पश्चात् ही उक्त निर्णय पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि एवं अनियमितता नहीं है। अधीनस्थ अधिकरण को धारा 23 के अनुसार सम्पत्ति से बेदखल करने का अधिकार प्राप्त है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत 2022 (2) डी0एन0जे0 (राज0) 623, 2017 (2) डी0एन0जे0 (राज0) 567 व 2018 (4) डी0एन0जे0 (राज0) पेज नम्बर 1527 में यह सिद्धान्त पारित किया गया है। अपीलार्थी सं0 1 की शादी वर्ष 2008 में 32 वर्ष उम्र में मजबूरी में की थी। जो कि अपीलार्थी सं0 2 के साथ की थी। अपीलार्थी सं0 2 का शादी के पश्चात् चाल चलन सही नहीं रहा। अपीलार्थी सं0 2 का रेस्पोडेन्ट व रेस्पोडेन्ट की पत्नी प्रेम के साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं रहा और ना ही अपने दायित्वों का निर्वाह किया है। शादी के पश्चात् अपीलार्थीगण के दो बच्ची पैदा हुयी है। दोनो की डिलेवरी के वक्त अपीलार्थी सं0 1 को 15–15 हजार रूपये खर्चे के लिये दिये थे। अपीलार्थीगण ने रेस्पोडेन्ट को अकेला देखकर रेस्पोडेन्ट के साथ झगडा व मारपीट की शिकायत पुलिस थाना गंगापुर सिटी में दिनांक 28.03.2023 को पुलिस थाना गंगापुर सिटी में दी थी। जिसमें पुलिस थाना गंगापुर सिटी से चार–पॉच पुलिस कर्मचारी आये और दोनों पक्षों की बातों को सुनकर कहॉ की तुम मकान में कैमरा लगवा लो। रेस्पोडेन्ट ने पुलिस वालों के कहने पर उक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगवा लिये। लेकिन अपीलार्थी सं0 2 ने प्रथम फ्लोर के कैमरे पर कपड़ा डाल दिया। जिससे अपीलार्थी सं0 2 की बेजा हरकते कैमरे में दर्ज नहीं हो

20/12/24

जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज0)

रही है।रेस्पोडेन्ट वृद्ध व्यक्ति है, जो अपने मकान में प्रथम मंजिल पर अकेला रहता है। भविष्य में रेस्पोडेन्ट के साथ अपीलार्थीगण द्वारा किसी प्रकार की आकस्मिक घटना कारित कर सकते है, साथ ही रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 15/05/2024 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ,उस पर मनन किया गया व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 5 व सपठित धारा 23 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 5 व 23 का अवलोकन किया गया। धारा 5 के अर्न्तगत भरण पोषण हेतु आवेदन से संबंधित है तथा धारा 23 के में निम्न अभिकथन अंकित है। " 23. कुछ परिस्थितियों में सम्पत्ति का अन्तकरण शून्य होगाः– 1. जहां किसी वरिष्ठ नागरिक ने , जिसने इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् दान द्वारा या अन्यथा अपनी सम्पत्ति का अन्तरण इस शर्त के अधीन किया है कि अन्तरिती अन्तरक को मूलभूत सुविधाओं और मूलभूत शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा और ऐसा अन्तरिति ऐसी सुविधाओं और शारीरिक आवश्कताओं को पूर्ण करने का इन्कार करता है या असफल रहता है, वहॉ सम्पत्ति इस प्रकार उक्त अन्तकरण कपट या प्रपीड़न द्वारा या असम्यक् असर के अधीन किया गया माना जाएगा और अन्तरक की वांछा पर अधिकरण द्वारा शून्य घोषित किया जायेगा। (2) जहां किसी वरिष्ठ नागरिक को सम्पत्ति से भरण–पोषण को प्राप्त करने का अधिकार है और ऐसी सम्पत्ति या उसका भाग अन्तरित किया जाता है, वहॉ भरण–पोषण प्राप्त करने का अधिकार अन्तरिती के विरूद्ध प्रवर्तित किया जा सकेगा, यदि अन्तरिती को अधिकार का ज्ञान है या यदि अन्तकरण आनुग्रहिक है किन्तु प्रतिफल हेतु अन्तरिती के विरूद्ध और अधिकार का ज्ञान के बिना प्रवर्तित नहीं किया जा सकेगा। (3) यदि कोई वरिष्ठ नागरिक उपधारा (1) और (2) के अर्न्तगत अधिकार को प्रवर्तित करानें में अक्षम है,तो कार्यवाही धारा 5 की उपधारा (1) में स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट संगठन में किसी के द्वारा उसकी और से की जा सकेगी।" उक्त दोनों धारा बेदखली से संबंधित नहीं होना पाया गया। ऐसी स्थिती में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि अनुरूप होना प्रतीत नही होता है।

उक्त परिस्थितियों में हमारे विनम्र अभिमत में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स़्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.05.2024 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/12/24
(डॉ0 गौरव सैनी)
जिला कलेक्टर
जिला कलेक्टर
जयपुर सिटी
जयपुर सिटी (राज0)